राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प. 12 (6)/शिक्षा–5/आरटीई /2014 जयपुर दिनांक 13.08.2015

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर ।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2015–16 में प्रवेशित बालकों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 16.02.2015 से जारी दिशा निर्देशों के अध्याय 3 भौतिक सत्यापन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए संलग्नानुसार नवीन दिशा निर्देश एतद द्वारा प्रसारित किये जाते है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

13/8/15

(नसीरुद्दीन कुरैशी)

व.शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/निःशुल्क प्रवेश सत्यापन/18878/15–16/106 दिनांकः–14.8.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी मा.शिक्षा कार्यालयों एवं विद्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित कराने का श्रम करावें।
4. श्री विनोद जैन, साइन्टिस्ट, (ग्रुप–डी) एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर को आरटीई वेब पोर्टल पर आवश्यक तदनुसार कार्यवाही करने हेतु।
5. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा समस्त को प्रेषित कर लेख है कि मण्डल के अधीन समस्त जि.शि.अ. (प्रा.शिक्षा) कार्यालय एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों से टाईम फेम के अनुसार पालना सुनिश्चित करावें।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शिक्षा..............................को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ ब्लॉक प्रा.शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं गैर सरकारी विद्यालयों को तदानुसार सूचित कर आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा जारी निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार करवाना सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय प्रति

अतिरिक्त निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

(98)

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प. 12 (6)/शिक्षा–5/आरटीई /2014 जयपुर दिनांक 13.08.2015

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर ।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2015–16 में प्रवेशित बालकों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश के कम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 16.02.2015 से जारी दिशा निर्देशों के अध्याय 3 भौतिक सत्यापन प्रकिया संबंधी दिशा निर्देशों को अधिकमित करते हुए संलग्नानुसार नवीन दिशा निर्देश एतद द्वारा प्रसारित किये जाते है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

13/8/15

(नसीरूद्दीन कुरैशी)
व.शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं विद्यालयों को तदनुसार सूचित कर आवश्यक कार्यवाही करावें ।
6. श्री विनोद जैन, साइन्टिस्ट, (ग्रुप–डी) एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर को आरटीई वेब पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली

लेखाधिकारी

अध्याय–3 भौतिक सत्यापन प्रक्रिया

गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2015–16 में निःशुल्क शिक्षा हेतु नव प्रवेशित एवं पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत बालकों के भौतिक सत्यापन सम्बन्धी दिशा–निर्देश

(निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत)

भाग –1 भौतिक सत्यापन हेतु कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले कार्य

1. सत्यापन दलों का गठन :

1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अपने–अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे।

1.2 राज्य के ऐसे समस्त गैर सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है जो कक्षा–1 या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से प्रारम्भ होते हैं।

1.3 एक सत्यापन दल को सामान्यतया 5–8 विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा। आवंटन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि गत सत्र में गठित सत्यापन दलों की यथावत पुनरावृति नही हो तथा उनको आवंटित विद्यालय भी परिवर्तित हो जायें।

1.4 सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता/व. अ./अध्यापक/लिपिक वर्ग होगा।

1.5 प्रारम्भिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता लिए जा सकेगें तथा शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय/अध्यापक में से लिया जायेगा।

1.6 दलों के गठन में यह ध्यान रखा जायेगा कि उन्हीं विद्यालयों से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/ व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/शिक्षक सत्यापन दलों में लगाये जाएें जिनमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक पदस्थापित हैं, जिससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

2. विशेष सत्यापन दलों का गठनः–

2.1 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा अपने अधीन विद्यालयों के सेम्पल सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार विशेष दलों का गठन करेगें।

2.2 यह विशेष सत्यापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का एक प्रतिशत अथवा 20 विद्यालय, जो भी अधिक हों, का अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे। ये विशेष दल उन विद्यालयों का पुनः सत्यापन करेंगे जो सत्यापन दलों द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। निरीक्षण से पूर्व उन विद्यालयों की मूल सत्यापित रिपोर्ट को साथ लेकर जाऐगें तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाये जाने पर विशेष सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा मूल सत्यापन रिपोर्ट में लाल स्याही के पैन से आवश्यक संशोधन किये जाऐंगें।उक्त संशोधन विद्यालय प्रति एवं कार्यालय प्रति दोनों में किये जाएगें।

2.3 विद्यालय द्वारा विशेष सत्यापन दल द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट को ही आरटीई वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा संबंधित कार्यालय द्वारा उसी के अनुरूप इसका मिलान कर सत्यापन किया जाएगा।

2.4 विशेष जांच दल द्वारा निरीक्षण किए गए विद्यालयों की सूचना की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन से करनी है।

3. सत्यापन दलों का प्रशिक्षण :–

3.1 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने–अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए गठित सत्यापन दलों का प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। बिना प्रशिक्षण के किसी भी सत्यापन दल को सत्यापन हेतु विद्यालय में नही भेजा जाएगा।

3.2 प्रशिक्षण के दौरान सत्यापन दलों को "दुर्बल वर्ग" व "असुविधाग्रस्त समूह", प्रवेश हेतु कैंचमेन्ट एरिया, आयु पॉलिसी व एन्ट्री कक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

3.3 निःशुल्क सीटों पर प्रवेश की ऑफलाइन व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सत्यापन दलों को दी जाएगी।

3.4 यह जानकारी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.02.2015 को जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के आधार पर दी जाएगी। यह दिशा निर्देश आरटीई वेब पोर्टल http://www.rte.raj.nic.in पर उपलब्ध हैं।

3.5 सत्यापन दलों को संबंधित विद्यालयों के नाम की सूची मय पता, मोबाइल नम्बर, लैण्डलाइन नम्बर उपलब्ध करवायी जाएगी तथा सत्यापन दलों के दिशा–निर्देशो की एक–एक प्रति भी दी जाएगी।

3.6 जिला व ब्लॉक के आरटीई प्रभारी अधिकारियों के फोन नम्बर भी सत्यापन दलों को उपलब्ध करवायें जायें जिससे सत्यापन दल आवश्यकता पड़ने पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

4. भौतिक सत्यापन का टाइम फ्रेमः

क.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
1	भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण	20 अगस्त तक
2	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	21.08.2015 से 15.09.2015 तक
3	विद्यालयों द्वारा रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	21.08.2015 से 19.09.2015 तक
4	सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	21.08.2015 से 22.09.2015 तक

भाग –2 <u>भौतिक सत्यापन हेतु सत्यापन दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य</u>

1. सत्यापन दल द्वारा किये जाने वाले कार्य :

1.1 सर्व प्रथम सत्यापन दल विद्यालयों को सूचित करेंगे कि विद्यालय अपने लॉगइन से <u>निरीक्षण प्रतिवेदन की दो प्रतियों का प्रिंट आउट लेकर तैयार रखें</u> तथा निरीक्षण दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र मय संलग्नक व रिपोर्टिंग प्रपत्र, कैशबुक, रसीद् बुक, एसआर रजिस्टर, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर व पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों (केवल सामान्य, ओबीसी व एसबीसी वर्ग के लिए) के आय प्रमाण–पत्र तैयार रखें।

1.2 सत्यापन दल, विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर ही विद्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन में पूर्व से भरी सूचनाओं व बालकों का भौतिक सत्यापन करेंगे।

1.3 जिन विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर एक भी प्रवेश नहीं हुआ है उन विद्यालयों में प्रवेश न होने का कारण पूछा जाएगा तथा विद्यालय की अन्य सूचनाओं का सत्यापन किया जाएगा।

1.4 <u>प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत है तो उस पर गोला करना है तथा उसके पास ही सही सूचना को अंकित करना है।</u>

1.5 निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति, स्तर, मान्यता, एण्ट्री कक्षा व आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जॉच करने के बाद ही इनको सत्यापित करें।

1.6 निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर पुनर्भरण योग्य पाये गये बालकों को सत्यापित करेंगे।जिन बालकों के प्रवेश पुनर्भरण योग्य नहीं पाये जावें उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने हैं।

1.7 सत्यापन दल निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जॉच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्राप–आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे।

1.8 यह ध्यान रहे कि पूर्व के सत्रों में प्रवेश के बाद यदि शहरी निकाय अथवा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के कारण बालकों अथवा विद्यालय का ग्राम/वार्ड/ग्राम पंचायत क्षेत्र/शहरी निकाय क्षेत्र बदल गया है तो पूर्व के सत्रों में प्रवेशित बालकों की निःशुल्क शिक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, उनकी निःशुल्क शिक्षा जारी रहेगी।

1.10 सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जॉच कर विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे। फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों यथा कैशबुक, रसीदबुक, फीस संधारण रजिस्टर का निरीक्षण करेंगें। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात की जाकर फीस की पुष्टि कर ली जावे। सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से अथवा अभिलेखों का अवलोकन किये बिना ही फीस का आकलन कर राशि अंकित करने एवं पुनर्भरण की अनुशंषा करने पर गलत/अनियमित भुगतान होने की स्थिति में सत्यापन दल का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

1.11 भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जाएगी ओर न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाऐंगी। भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकॉर्ड अवलोकित किया जाए प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जाएगी।

1.12 सत्यापन प्रकिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही संबंधित संस्था प्रधान/प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा दूसरी प्रति संबंधित बीईईओ/डीईओ(मा.शि.) कार्यालय में जमा करवाई जाएगी।

1.13 सत्यापन दल के द्वारा उपलब्ध करवाये गये निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर सरकारी विद्यालय द्वारा तत्काल आरटीई वेब पोर्टल पर अपलोड करना है।

2. सत्यापन दल द्वारा प्रवेशित बालकों के आवेदन पत्रों की जांच– यह जांच निम्नांकित आधारों पर की जाएगी।

2.1 "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" :–

2.1.1 दुर्बल वर्ग– दुर्बल वर्ग में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(a) ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी.एल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है।

(b) ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं है।

2.1.2 असुविधाग्रस्त समूह– असुविधाग्रस्त समूह में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(a) अनुसूचित जाति के बालक

(b) अनुसूचित जन जाति के बालक

(c) अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं है।

(d) निःशक्त बालक जो कि समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो।

2.2 निःशुल्क प्रवेश हेतु "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" से संबंधित प्रमाण पत्रः– "दुर्बल वर्ग" व "असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए।

2.3 कैंचमेन्ट एरियाः– राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक–बालिकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहॉ से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। **किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक–बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।**

2.4 कैंचमेन्ट एरिया से संबंधित निवास प्रमाण पत्रः–बालक के निवास के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए सम्बन्धित शहरी नगर निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) द्वारा बालक/अभिभावक के लिए जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल/पानी का बिल मान्य होंगे।

2.5 प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रताः– एन्ट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार होगी जिसका चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा किया जायेगा।

2.5.1 प्रथम विकल्पः – आरटीई एक्ट के प्रावधानानुसार –अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष है तथा जो विद्यालय अपने यहॉ पूर्व प्राथमिक शिक्षा दे रहे है, उनमें निम्न व्यवस्था अनुसार, एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश के लिये आयु मान्य होगीः–

क.सं.	**विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा (कक्षा–1 से पहले)**	**एण्ट्री लेवल कक्षा का नाम**	**प्रवेश हेतु आयु**
1.	तीन वर्षीय	Pre Primary 3+ (PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
2.	दो वर्षीय	Pre Primary 4+ (PP.4+)	4 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम
3.	एक वर्षीय	Pre Primary 5+ (PP.5+)	5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम

2.5.2 द्वितीय विकल्पः– विद्यालय जिस बोर्ड से सम्बद्ध है, उस बोर्ड द्वारा एण्ट्री कक्षा में प्रवेश हेतु यदि कोई आयु सीमा निर्धारित की है अथवा विद्यालय ने अपने स्तर पर 75% गैर आरटीई सीटों पर प्रवेश हेतु कोई पारदर्शी आयु नीति (Age Policy) बना रखी है तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया है तो 25% निःशुल्क सीटो पर प्रवेश हेतु भी यह आयु नीति मान्य होगी, लेकिन कोई भी विद्यालय 3 वर्ष से कम तथा 7 बर्ष से अधिक की आयु के बालकों को एण्ट्री कक्षा में प्रवेश नही दे सकेगा तथा किसी भी एण्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम व अधिकतम आयु में 2 वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होगा। विद्यालय यदि आरटीई पोर्टल पर आयु पॉलिसी के द्वितीय विकल्प का चयन करता है तो उसे अपनी एण्ट्री कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु भी दर्शानी होगी।

नोट–उपरोक्त व्यवस्था में एन्ट्री लेवल कक्षा के जो नाम दिये गये है वे विद्यालयों में भिन्न–भिन्न हो सकते है लेकिन प्रवेश के लिये आयु सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी। विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक–बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु की गणना अप्रेल सत्र से प्रारम्भ होने वाले विद्यालयों में 1 अप्रेल तथा मई अथवा राजकीय विद्यालयों के साथ सत्रारम्भ करने वाले विद्यालयों में 1 मई के आधार पर की जाएगी।

2.6 आयु के सबूत के लिये दस्तावेजः– राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12 के अनुसार प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति मेंः–

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख

(ख) आँगनबाड़ी अभिलेख और

(ग) माता–पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्य होगा।

भाग–3

आरटीई के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के सत्यापन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (सत्र 2015–16)

1.विशेष ध्यान रखने योग्य बातें:–

1.1 विद्यालय अपने लॉगइन से निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रिंट आउट लेकर दो प्रतियों में निरीक्षणकर्त्ताओं को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवायेगें।

1.2 निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रिंट में जो सूचनाऐं पहले से भरी हुई है, उनकी गहनता से जॉच कर पुष्टि कर लें। यदि किसी सूचना में अन्तर है तो पूर्व से भरी सूचना पर पैन से गोला बना दें तथा सहीं सूचना उसके पास में अंकित कर दें।

1.3 सूचनाओं में परिवर्तन निरीक्षण प्रतिवेदन की दोनों प्रतियों में करने हैं।

1.4 सूचनाऐं जिनकी जांच ध्यान पूर्वक की जानी हैं –

1.4.1 विद्यालय की स्थिति के संबंध में ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद्/ नगर निगम), ग्राम पंचायत, ग्राम, वार्ड तथा शहरी या ग्रामीण क्षेत्र।

1.4.2 विद्यालय की एन्ट्री कक्षा (विद्यालय में कक्षा–1 से पूर्व तीन पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं होने पर एन्ट्री कक्षा 3+, दो पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं होने पर एन्ट्री कक्षा 4+ व एक पूर्व प्राथमिक कक्षा होने पर एन्ट्री कक्षा 5+ होगी)

1.4.3 पूर्व में अध्ययनरत बालकों का वर्तमान सत्र के लिए आय प्रमाण पत्र (केवल Gen, OBC, SBC बालकों पर लागू)

1.4.4 विद्यालय के अल्पसंख्यक की श्रेणी में होने पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग से जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

1.5 इस प्रपत्र में पूर्व में भरें हुए डाटा यथा एन्ट्री कक्षा, माध्यम आदि में बदलाव से विद्यालय सहमत हैं। इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस सत्र में प्रवेशित बालकों का पोर्टल पर यथानुसार परिवर्तन हो जायेगा, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा एवं उसे ज्ञात है कि इसमें दुबारा से बदलाव सम्भव नहीं है।

2 निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम, पद व पदास्थापन स्थान:–

2.1 निरीक्षणकर्त्ता अध्यक्ष

2.1.1 नाम — 2.1.2 पद

2.1.3 पदस्थापन स्थान — 2.1.4 मोबाइल नं.

2.2 निरीक्षणकर्त्ता सदस्य

2.2.1 नाम — 2.2.2 पद

2.2.3 पदस्थापन स्थान — 2.2.4 मोबाइल नं.

2.3 निरीक्षण की दिनांक

3 निरीक्षण दल का प्रमाण–पत्र:–

प्रमाणित किया जाता है कि हमने (नाम)1. ....2...................................दिनांक ....को (विद्यालय का नाम)..में आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों का विद्यालय में उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन कर उनके प्रवेश संबंधी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन कर लिया है। निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की पात्रता की जांच कर ली है तथा कुल पात्र बालकों ....(बालकों की संख्या) के लिए पुनर्भरण की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर सदस्य
भौतिक सत्यापन दल

हस्ताक्षर अध्यक्ष
भौतिक सत्यापन दल

प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त की।
दिनांक

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
विद्यालय की मोहर सहित

4 विद्यालय से संबंधित विवरणः—

4.1 विद्यालय का नाम 4.2 डाईस कोड

4.3 विद्यालय का पूर्ण पता

4.4 जिला 4.5 ब्लॉक

4.6 ग्राम पंचायत/यूएलबी 4.7 ग्राम/वार्ड

4.8 विधानसभा क्षेत्र 4.9 पिन कोड

4.10 विद्यालय का ई—मेल पता 4.11 विद्यालय स्थापना वर्ष

4.12 विद्यालय श्रेणी (उचित पर ✓ करें)

- Primary (1-5) - Primary with Upper Primary (1-8)
- Pr. With Up. Pr. Sec. and H.Sec. (1-12) - Upper Primary Only(6-8)
- Up. Pr. Secondary and Higher Sec. (6-12) - Pr. Up. Pr. And Sec. Only (1-10)
- Upper Pr. And Secondary (6-10) - Secondary Only(9-10)
- Secondary with Higher Sec. (9-12) - Higher Sec. Only/Jr. College(11-12)

4.13 विद्यालय का प्रकार

- Boys
- Girls
- Co-Edu

4.14 विद्यालय से संबंधित बोर्ड

- CBSE - RBSE
- ICSE - IB
- OTHER - NONE

4.15 बोर्ड द्वारा प्रदत्त विद्यालय कोड 4.16 विद्यालय का फोन/मोबाइन नं.

4.17 विद्यालय का आरटीई मान्यता कमांक यदि है तो
(केवल 01.04.2010 से पूर्व संचालित विद्यालयों के लिए)

4.18 पूर्ण आवासीय विद्यालय (हॉ/नही) 4.19 अल्पसंख्यक संस्थान (हॉ/नही)

4.20 अल्पसंख्यक मामलात् विभाग से जारी प्रमाण—पत्र उपलब्ध है। (हॉ/नही)

4.21 क्या विद्यालय अल्प संख्यक संस्थान होने पर भी निःशुल्क सीटों पर प्रवेश देता है। (हॉ/नही)

5. विद्यालय संस्था प्रधान संबंधित विवरणः—

5.1 संस्था प्रधान का नाम 5.2 मोबाइल नं.

5.3 संस्था प्रधान का ई—मेल

6. विभागीय उच्चतम मान्यताः—

6.1 मान्यता कमांक (हिन्दी माध्यम) दिनांक

6.2 मान्यता कमांक (अंग्रेजी माध्यम) दिनांक

7. विद्यालय में संचालित कक्षाऐंः— ....से ....तक।

8. विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु एन्ट्री कक्षाऐं एवं उनकी प्रवेश क्षमताः—

(नोटः विद्यालय में कक्षा—1 से पूर्व तीन पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं होने पर एन्ट्री कक्षा 3+, दो पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं होने पर एन्ट्री कक्षा 4+ व एक पूर्व प्राथमिक कक्षा होने पर एन्ट्री कक्षा 5+ होगी। निर्धारित आयु पॉलिसी में बदलाव सम्भव नहीं है।)

8.1 प्रथम एंट्री कक्षा 8.2 माध्यम 8.3 आयु पॉलिसी

9. सत्यापन के दिन 25 प्रतिशत निःशुल्क एवं 75 प्रतिशत सशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे कक्षावार बालकों की वास्तविक उपस्थितिः—

क. सं.	कक्षा	माध्यम	25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहें बालकों की संख्या		उपस्थिति		75 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहें बालकों की संख्या		उपस्थिति	
			छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	Pre Primary 3+ (PP 3+) Hindi									

2.	Pre Primary 4+ (PP 4+) Hindi									
3.	Pre Primary 5+ (PP 5+) Hindi									
4.	First									
5.	Second									
6.	Third									
7.	Forth									

10. विद्यालय में निःशुल्क (25 प्रतिशत) सीटों पर अध्ययनरत बालकों का सत्यापनः–

10.1 बालकों के पुनर्भरण योग्य होने के कारणः– बालक "दुर्बल–वर्ग" या "असुविधाग्रस्त समूह" का है, कैचमेंट एरिया का निवासी है तथा विद्यालय की एंट्री कक्षा के लिए निर्धारित आयु का है तथा इनसे संबंधित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा एवं लॉटरी तिथि से पूर्व की तिथियों में जारी किये गए हैं।

10.2 बालकों के पुनर्भरण योग्य नहीं होने के कारणः–

अयोग्ता कोड	**बालकों के पुनर्भरण योग्य नहीं होने के कारण**	**वर्तमान सत्र में प्रवेशित बालकों के लिए**	**पूर्व सत्रों में प्रवेशित तथा क्रमोन्नत बालकों के लिए**
11	बालक "दुर्बल वर्ग" या "असुविधाग्रस्त समूह" का नहीं है।	लागू	लागू नहीं
12	बालक के "दुर्बल वर्ग"/"असुविधाग्रस्त समूह"/ निवास से सम्बन्धित दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं हैं।	लागू	लागू नहीं
13	बालक के "दुर्बल वर्ग"/"असुविधाग्रस्त समूह"/ निवास से सम्बन्धित दस्तावेज लॉटरी तिथि या उसके बाद की तिथि में जारी किए गए हैं।	लागू	लागू नहीं
14	वर्तमान में बालक के अभिभावक की बार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से अधिक है। (केवल सामान्य, ओबीसी, एसबीसी के बालकों पर लागू)	लागू	लागू
15	बालक कैचमेन्ट एरिया से बाहर का निवासी है।	लागू	लागू नहीं
16	बालक ने 01.09.2014 से पूर्व विद्यालय छोड दिया है।	लागू नहीं	लागू
17	बालक गत सत्र में अध्ययनरत रहा है परन्तु वर्तमान सत्र में विद्यालय छोड दिया है।	लागू नहीं	लागू
18	बालक की मृत्यु हो गयी।	लागू	लागू
19	बालक का डाटा गलती से प्रविष्ट हो गया।	लागू	लागू
20	बालक पास के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं।	लागू	लगू
21	बालक प्रवेश के पश्चात् अध्ययन के लिए नहीं आया।	लागू	लागू

10.3.1 वर्तमान सत्र 2015–16 में प्रवेशित बालकों की सूचीः–

क.सं.	विधार्थी का नाम	एस.आर.	जन्म दिनांक	कक्षा	माध्यम	मोबाइल न.	योग्य/अयोग्य	अयोग्ता कोड

10.3.2 पूर्व सत्रों में प्रवेशित बालकों की सूचीः–

क्र.सं.	विधार्थी का नाम	एस.आर.	जन्म दिनांक	कक्षा	माध्यम	मोबाइल न.	योग्य / अयोग्य	अयोग्ता कोड

10.4 विद्यालय में एण्ट्री कक्षा में सशुल्क (75 प्रतिशत) सीटों पर अध्ययनरत बालकों की सूची

क्र. सं.	विधार्थी का नाम	पिता का नाम	एस.आर.	कक्षा	माध्यम	अध्ययनरत है / नहीं

11. शेष 75 प्रतिशत छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरणः–

नोटः शुल्क का सत्यापन विद्यालय की रसीद् बुक, कैश बुक के आधार पर करें। (विद्यालय द्वारा सत्यापन के समय रसीद बुक, कैश बुक का अवलोकन नहीं करवाया जाता है तो सत्र 2015–16 की वार्षिक फीस के कॉलम में राशि अंकित नहीं की जाएगी, परन्तु कॉलम में उक्त तथ्य का अंकन किया जाएगा।) फीस के समस्त रिक्त कॉलमों में फीस की प्रविष्टि करनी है।

क्र. सं.	संचालित कक्षा	विद्यालय द्वारा ली जाने वाली कक्षावार एवं सत्रवार वार्षिक फीस							
		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
		हिन्दी	अॅग्रेजी	हिन्दी	अॅग्रेजी	हिन्दी	अॅग्रेजी	हिन्दी	अॅग्रेजी

12. विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों से किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है?
(यदि हाँ तो भेदभाव का उल्लेख करें।)
हाँ / नहीं

13.निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को विद्यालय में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा सहायक सामग्री दी गई है?
हाँ / नहीं

14. विद्यालय को गत वर्षों में प्राप्त पुनर्भरण की राशि का इन्द्राज कैश बुक में किया जाता है?
हाँ / नही

15. गत सत्रों में प्रवेशित एवं क्रमोन्नत बालकों के संबंध में प्रवेश आवेदन पत्र, वांछित दस्तावेज, निरीक्षण प्रतिवेदन, क्लेम बिल की प्रति एवं कैश बुक विद्यालय के कार्यालय में सुरक्षित रखे हुए हैं?
हाँ / नही (नहीं की स्थिति में बिन्दु संख्या 17 में पूर्ण उल्लेख करें)

16. छात्र उपस्थिति पंजीका एवं छात्र मूल्यांकन संबंधी अभिलेखों का अवलोकन करने पर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की उपस्थिति नियमित पायी गई। (हॉ / नही) नहीं की स्थिति में बिन्दु संख्या 17 में उल्लेख करें।

17. अन्य विवरण जो निरीक्षण दल उल्लेखित करना उचित समझेः–

....

नाम व हस्ताक्षर निरीक्षणकर्त्ता

नाम व हस्ताक्षर निरीक्षणकर्त्ता

18. निरीक्षण प्रतिवेदन की उपरोक्त समस्त सूचनाओं से सहमति।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
दिनांक एवं विद्यालय की मोहर सहित